

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0न0  
04/2025

तारीख दायरा  
13.08.2025

तारीख फैसला  
3/9/25

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

**उनवान**

- 1- के०के० विडला मेमोरियल सोसायटी, (केकेबीएमएस) रजिस्टर्ड आफिस चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, गढेपान द्वारा—विशाल माथुर आत्मज डा० टी पी माथुर निवासी ए-20 उत्तम नगर सीएफसीएल टाउन शिप गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

**बनाम**

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
- 2- महेश चन्द विजय आत्मज श्री नन्द किशोर जी विजय
- 3- हेमा विजय पत्नी महेश चन्द विजय  
जाति महाजन निवासी मकान नं० 4-बी-23 तलवंडी कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से — श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट  
प्रतिपक्षी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू0राजस्व अधिनियम**

**--:: निर्णय ::--**

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1. यह कि अप्रार्थी न० 2 व 3 के खाते में खाता सं० 141 पुराना 91 पर सम्बत् 2076-79 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 527/75 रकबा 0-11 हेक्टर व खसरा नम्बर 528/76 रकबा 1-44 हेक्टर कुल दो किता की 1-55 हेक्टर भूमि वाके ग्राम गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही थी।

2-यह कि प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 ने उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 527/75 रकबा 0-11 हेक्टर की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 528/76 रकबा 1-44 हेक्टर में से 0-27 हेक्टर दक्षिणी पूर्वी दिशा की कुल दो किता की 0-38 हेक्टर भूमि को प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12-2-2025 से बैचान करदी तथा मोकें पर प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 द्वारा कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था।

3-यह कि प्राणी ने उक्त जारिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इतकाल हेतु प्रतिवादी नं० 1 को निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी नं० 1 के कर्मचारियों ने ओम लार्डन नामान्तरकरण सि० 704 दिनांक 28-2-2025 से तस्दीक कर दिया। जिसमें दोनों भूमिओं में प्राणी का 76/155 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है। उक्त युटि ओन लार्डन में वलरिकल मिस्टेक है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। क्याकि प्राणी ने केवल मात्र 0-38 हेक्टर भूमि ही खरीद की है।

4- यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 के कर्मचारियों को प्राणी द्वारा खरीद की गयी भूमि का इतकाल खोल कर ख०न० 527/75 की सम्पूर्ण भूमि व ख०न० 528/76 की 1-44 हेक्टर में से 0-27 हेक्टर भूमि अलग कर उसका नया नम्बर कायम करते हुये नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिये था। किन्तु ऐसा न कर गलत रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि प्राणी ने प्रतिवादी नं० 1 को व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्राणी द्वारा खरीद की गयी भूमि को प्राणी के अलग खाते दर्ज करने व ख०न० 528/76 की 0-27 हेक्टर के नय खसरा नम्बर कायम के प्राणी के खाते दर्ज करने व इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में आवश्यक संशोधन करने हेतु दिनांक 25-7-25 को कहा तो उन्होंने दुरुस्ती करने व प्राणी की खरीद शुदा भूमि को प्राणी के अलग खाते दर्ज करने से इन्कार कर दिया।

6- यह कि प्राणी ने प्रतिपक्षी नं० 1 से दिनांक 25-7-2025 को मोखिक रूप से भी निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड में प्राणी द्वारा खरीद की गयी भूमि के विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नम्बर 527/75 की 0-11 हेक्टर सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 528/76 की 1-44 हेक्टर में से 0-27 हेक्टर दक्षिणी पूर्वी भूमि का नया खसरा नम्बर कायम कर कुल 0-38 हेक्टर भूमि का संशोधित नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर प्राणी के खाते दर्ज किये जाने व ख०न० 528/76 की 1-17 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 के नाम दर्ज किये जाने एव इस प्रकार का राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्राणी को प्रदान की जावे।

प्राणी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:-

- 1- नकल जमाबन्दी खाता संख्या 141 ग्राम गढेपान सम्वत 2076-2079
- 2- नकल विक्रय पत्र 12.02.2025
- 3- नक्शा ट्रेस पुराना

